


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस संख्या 2026/67 चन्द्री देवी व अन्य बनाम गोरधन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.2026	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की बहस क्षेत्राधिकार पर पूर्व में सुनी गयी।</p> <p>वकील अपीलान्ट ने अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया गया कि वाके ग्राम सिंगडोला बड़ा, तहसील नेछवा, जिला सीकर में आराजी खसरा नम्बर 221, 234, 235, 236, 238, 239 किता 6 रकबा 5.5000 है० एवं 232, 233 किता 2 रकबा 2.9000 है० जिसके रिकार्डेड खातेदार अपीलान्टान् के पिता दिलसुख पुत्र दुर्गादत्त थे। अपीलान्टान् ने विरासत का नामान्तकरण अपीलान्टान् के नाम खोलने हेतु आवेदन किया। बाद जांच हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज किया गया उक्त नामान्तकरण पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के कथित एतराज आवेदन पर कब्जा कास्त 1/2 भाग पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का होने से उन्होने नामान्तकरण संख्या 381 अनिर्णित रखा कि जिसके विरुद्ध अपील अपीलार्थीगण द्वारा ठोस कारणों के साथ प्रस्तुत है। निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय सीमाज्ञान विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने से तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित होने के कारण से निर्णय निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत राज्य सरकार के आदेश से भंग होकर ग्राम पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त थे व सभी अधिकार नामान्तकरण हेतु तहसीलदार जी में ही निहित थे ऐसी स्थिति में आदेश अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 528 दिनांक 21.01.2026 निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट जयप्रकाश ने माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर एवं माननीय जिला कलक्टर सीकर आदि को सरपंच ग्राम पंचायत राधारानी जी जो नाम मात्र सरपंच है उनके पति रामस्वरूप जी पर गम्भीर आरोप लगाये व शिकायत की एवं दिनांक 13.01.2026 को तहसीलदार जी नेछवा को भी निवेदन किया कि नामान्तकरण विवादित है व आपको सुनवाई के अधिकारी हैं। प्रार्थी ने एक अन्य पत्र भी तहसीलदार जी नेछवा सीकर को दिया गया दिनांक 15.01.2026 को जिसकी प्रार्थी के पास रीसीव हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना कोई जांच किये ही चुनौतीग्रस्त आदेश प्रदान कर दिया जो सरसरे रूप में ही निरस्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 135 (1) व धारा 135 (2) के प्रावधानों को समझे बिना आदेश पारित करने में भूल की हैं। धारा 135 के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :-</p> <p>“धारा 135 सूचना मिलने पर प्रक्रिया :-</p> <p>(1) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और निर्विवाद मामलों में यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य अवाप्ति हो चुकी है तो वह उसे वार्षिक रजिस्ट्रारों में अभिलिखित करेगा।</p> <p>(2) यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवाप्ति विवादित हो तो तहसीलदार यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो विधि के अनुसार निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास जो निर्णय देने में सक्षम हो भेज देगा।</p> <p>धारा 135 (2) में अधिकार केवल मात्र तहसीलदार जी को है न कि ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत केवल मात्र धारा 135 (1) में ही कि जहां अविवादित नामान्तकरण का आदेश प्रदान कर सकती है अन्यथा नहीं।</p>	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस संख्या 2026/67 चन्द्री देवी व अन्य बनाम गोरधन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी है
<p>अतिरिक्त संभलीय आयुक्त नयपुर</p>	<p>यह भी निर्विवाद है कि पटवारी हल्का ने विरासत के आधार पर जांच के पश्चात् नामान्तकरण भरा है किसी अधिकारी की कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिन अपीलान्त के पक्ष में नामान्तकरण भरा है, वे मृत खातेदार के वारिस नहीं हैं। जब नामान्तकरण विरासत के आधार पर भरा गया है तो उसमें वारिसों की ही जांच होगी जबकि अपीलान्त को वारिस तो माना लेकिन 1/2 भाग पर गोरधन पुत्र दुर्गादत्त का कब्जा है के गलत आधार पर दुर्भावनावश नामान्तकरण निरस्त कर दिया गया, जो सरासर गलत है व निरस्तनीय है। धारा 40 राज०टी०एक्ट की परीधि में व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 (1) में रेस्पोजेन्ट कहीं भी नहीं आता। ऐसी स्थिति में अपीलान्तान् के नाम ही नामान्तकरण स्वीकृत होगा। लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने इसे निरस्त करने में भूल की हैं। निर्णय अधीनस्थ ग्राम पंचायत प्रशासक द्वारा धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, धारा 133 व 135 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं धारा 40 राज०टी० एक्ट के प्रावधानों व उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतीकूल निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की हैं। ग्राम पंचायत की कार्यवाहक सरपंच महोदया को कोई अधिकार ग्राम पंचायत की कोई बैठक करने एवं फैसले करने का नहीं था। परन्तु फिर भी जिस प्रकार से आदेश प्रसारित किया है वह क्षेत्राधिकार बाहर होने से निरस्तनीय हैं। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार से धारा 135 (2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में आदेश प्रसारित किया है की अपील की सुनवाई के अधिकार श्रीमान जी में निहित होने से अपील न्याय शुल्क पर प्रस्तुत हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत प्रशासक द्वारा केवल मात्र रेस्पोजेन्ट नम्बर 1 को लाभ पहुँचाने के लिए आदेश प्रसारित किया है जो निरस्तनीय है। चुनौतीग्रस्त आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी व दुर्भावनापूर्ण होने से न्यायहित में निरस्तनीय होगा। राजस्थान सरकार की राजस्व मण्डल की साइट पर दिनांक 30.12.2025 को नामान्तकरण स्वीकृत करने सम्बन्धी स्थिति दर्शाित करने के पश्चात् रिश्वत राशि नहीं देने पर ग्राम पंचायत सरपंच/प्रशासक पति रामस्वरूप विपक्षी से मिलिभगत कर अवैध व अनुचित रूप से सरपंच आईडी पर निरस्त करने का अंकन पूर्व आदेश को पलटकर कर दिया गया। चुनौतीग्रस्त आदेश स्पीकिंग सकारण एवं विधिक निर्णय की तारीफ में न आने से भी निरस्तनीय हैं। अपील निश्चित न्यायशुल्क एवं क्षेत्राधिकार में होने से तथा अन्दर मियाद माननीय के समक्ष प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत घाणा प्रशासक राधारानी जी द्वारा नामान्तकरण संख्या 381 दिनांक 21.01.2026 ग्राम सिंगडोला बड़ा पर पारित आज्ञा निरस्त की जाकर तहसीलदार नेछवा को अपीलान्त संख्या 1 से 4 के हक में नामान्तकरण स्वीकार किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।</p> <p>वकील रेस्पोजेन्ट सं० 1 के अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलार्थी चन्द्री देवी व अन्य ने माननीय न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत सिंगडोला बड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 जिसमें नामान्तकरण सं० 381 ग्राम सिंगडोला को निरस्त किया है उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी चन्द्री देवी ने अपील में यह अंकित किया है कि ग्राम पंचायत सिंगडोला बड़ा द्वारा धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से आदेश पारित किया है। इसलिये माननीय न्यायालय को अपील सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस संख्या 2026/67 चन्द्री देवी व अन्य बनाम गोरधन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्राप्त है। ग्राम पंचायत लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर नहीं होती है तथा ना ही धारा 135 (2) के अन्तर्गत उनके द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है। मौजूदा प्रकरण में ग्राम पंचायत सिंगडोला बडा द्वारा नामांतरकरण सं० 381 को निरस्त किया है जिसके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी अर्थात भू अभिलेख अधिकारी को है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय को अपील सुनने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थीगण चन्द्रीदेवी व अन्य द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) व भूअभिलेख अधिकारी का आदेश मानकर अपील प्रस्तुत की है। जबकि ग्राम पंचायत भूअभिलेख अधिकारी की हैसियत धारित नहीं करती है तथा माननीय न्यायालय को भूअभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निदेशक भू अभिलेख की हैसियत से ही अपील सुनने का अधिकार है। अपीलाधीन आदेश भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश नहीं है। इसलिये मौजूदा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी चन्द्री देवी व अन्य की अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।</p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील ग्राम पंचायत सिंगडोला बडा द्वारा नामांतरकरण सं० 381 दिनांक 21.01.2026 को निरस्त किया गया है। उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण सं० 381 दिनांक 21.01.2026 के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी अर्थात भू अभिलेख अधिकारी को है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थीगण चन्द्रीदेवी व अन्य द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश को भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) व भू-अभिलेख अधिकारी का आदेश मानकर अपील प्रस्तुत की है। जबकि ग्राम पंचायत भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत धारित नहीं करती है तथा न्यायालय हाजा को भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निदेशक भू अभिलेख की हैसियत से ही अपील सुनने का अधिकार है। अपीलाधीन आदेश भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश नहीं है। जिसकी सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। अतः अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से बहस एडमीशन पर क्षेत्राधिकार पर प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं होने से परिणामतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p>	

  
 (दीप्ति कछवाहा)  
 आति० समाग्रीय आयुक्त  
 जयपुर